एडी. आल

2/2006
25/2006

1

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 25)

[23 जून, 2005]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्र[और इस अधिनियम धिनियम, 2005 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी"] को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1974 का 2 2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 में, उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 20 का संशोधन।

"(4क) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियां, जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी।"।

1, 2006 के अ. सं. 25 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

1OLW/77OLW

धारा 24 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (6) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा और 18 दिसम्बर, 1978 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर" से अभियोजन अधिकारियों का वह काडर अभिप्रेत है, जिसमें लोक अभियोजक का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पद सम्मिलित है और जिसमें उस पद पर सहायक लोक अभियोजक की, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पदोन्नति के लिए उपबंध किया गया है;

(ख) "अभियोजन अधिकारी" से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने के लिए इस संहिता के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।'।

नई धारा 25क का अंत:स्थापन।

4. मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, धारा 25 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अभियोजन निदेशालय।

"25क. (1) राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी, जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उप-निदेशक होंगे, जितने वह ठीक समझे।

(2) कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम-से-कम दस वर्ष तक व्यवसाय में रहा है और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी।

(3) अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा, जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा।

(4) प्रत्येक अभियोजन उप-निदेशक, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन, उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, जो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा।

(6) राज्य सरकार द्वारा, धारा 24 की, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (8) के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, और जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक, जो अभियोजन उप-निदेशक के अधीनस्थ होगा।

(7) अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप-निदेशकों की शक्तियां तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निदेशक नियुक्त किया जाएगा, वे होंगे जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(8) लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में, इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे।"।

धारा 29 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 29 में,—

(क) उपधारा (2) में "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) में "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 46 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 46 में उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां स्त्री पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 50क का अन्तःस्थापन।

गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता।

"50क. (1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में, जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए, तुरंत देगा।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।

(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी।

(4) उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 53 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 53 का संशोधन।

'स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 53क और धारा 54 में—

'(क) "परीक्षा" में खून, खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में सुआब, थूक और स्वाब, बाल के नमूनों और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के, जिनके अंतर्गत डी॰एन॰ए॰ प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है, सम्मिलित होंगे;

(ख) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, जिसके
1956 का 102 पास भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथापरिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।'।

9. मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 53क का अन्तःस्थापन।

बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा।

"53क. (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए, और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है, सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए, तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलम्ब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात्:—

(i) अभियुक्त और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता;

(ii) अभियुक्त की आयु;

(iii) अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान, यदि कोई हों;

(iv) डी॰एन॰ए॰ प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन;

और

(v) उचित ब्यौरे सहित, अन्य तात्विक विशिष्टियां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएंगे, जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) परीक्षा प्रारम्भ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना विलम्ब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भागरूप में भेजेगा।''।

धारा 54 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 54 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई परीक्षा की जाती है, वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी।''।

नई धारा 54क का अन्त:स्थापन।

11. मूल अधिनियम की धारा 54 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त।

''54क. जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा।''।

धारा 82 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 82 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(4) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, धारा 304, धारा 364, धारा 367, धारा 382, धारा 392, धारा 393, धारा 394, धारा 395, धारा 396, धारा 397, धारा 398, धारा 399, धारा 400, धारा 402, धारा 436, धारा 449, धारा 459, या धारा 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय, तब ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। 1860 का 45

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं।''।

धारा 102 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 102 में,—

(क) उपधारा (3) में, ''न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है'' शब्दों के पश्चात् ''या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है, या जहां अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के अंत में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा अर्थात्:—

''परन्तु जहां उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत की गई संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है अथवा अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपए से कम है, तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जा सकेगा और धारा 457 और धारा 458 के उपबन्ध, यथासाध्य निकटतम रूप में, ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे।''।

धारा 110 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 110 के खंड (च) के उपखंड (i) में, —

(i) मद (छ) में ''या'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) मद (छ) के पश्चात् निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

1946 का 31 "(ज) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946; या"।

15. मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के खंड (ख) में "प्रतिभुओं से रहित बंधपत्र" शब्दों के स्थान पर "प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र" शब्द रखे जाएंगे। धारा 122 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम के अध्याय 10 में, उपशीर्ष "ग-न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले" के नीचे, धारा 144 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 144क का अंत:स्थापन।

'144क. (1) जिला मजिस्ट्रेट, जब भी वह लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, लोक सूचना द्वारा या आदेश द्वारा, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जलूस में आयुध ले जाने या किसी लोक स्थान में आयुध सहित कोई सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण संगठित या आयोजित करने या उसमें भाग लेने का प्रतिषेध कर सकेगा। आयुध सहित जलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किया गया आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी समुदाय, दल या संगठन के व्यक्तियों को निदेशित की जा सकेगी या किया जा सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किया गया आदेश, जारी किए जाने या बनाए जाने की तारीख से तीन मास से अधिक के लिए, प्रवृत्त नहीं रहेगी या रहेगा।

(4) राज्य सरकार, यदि वह लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निकाली गई लोक सूचना या किया गया आदेश, उस तारीख से, जिसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी लोक सूचना निकाली गई थी या आदेश किया गया था, ऐसे निदेश के न होने की दशा में समाप्त हो जाती या हो जाता, ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रहेगी या रहेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को, ऐसे नियंत्रणों और निदेशों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

1860 का 45 **स्पष्टीकरण**—"आयुध" शब्द का वही अर्थ है जो उसका भारतीय दंड संहिता की धारा 153कक में है।'।

17. मूल अधिनियम की धारा 164 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 164क का अंत:स्थापन।

'164क. (1) जहां, ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है उस स्त्री के शरीर की, जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्थापित है वहां ऐसी परीक्षा, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, ऐसी स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी स्त्री को, ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला प्राप्त होने के समय से चौबीस घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी क पास भेजा जाएगा। बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा।

(2) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है, बिना किसी विलंब के, उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे, अर्थात्:—

(i) स्त्री का, और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता;

(ii) स्त्री की आयु;

(iii) डी॰एन॰ए॰ प्रोफाइल करने के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन;

'OLW770LW

(iv) स्त्री के शरीर पर क्षति के, यदि कोई है, चिह्न;

(v) स्त्री की साधारण मानसिक दशा; और

(vi) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति, अभिप्राप्त कर ली गई है।

(5) रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी अंकित किया जाएगा।

(6) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना विलंब के, रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग-रूप में भेजेगा।

(7) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "परीक्षा" और "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" के वही अर्थ हैं, जो उनके धारा 53 में हैं।'।

धारा 176 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 176 में,—

(i) उपधारा (1) में "जब कोई व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए मर जाता है या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) जहां,—

(क) कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, या

(ख) किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित है,

तो उस दशा में जब कि ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्रधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है, वहां पुलिस द्वारा की गई जांच या किए गए अन्वेषण के अतिरिक्त, यथास्थिति, ऐसे न्यायायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है, जांच की जाएगी।";

(iii) उपधारा (4) के पश्चात् स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) उपधारा (1क) के अधीन, यथास्थिति, जांच या अन्वेषण करने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या अन्य अर्हित चिकित्सा व्यक्ति को, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, भेजेगा जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव न हो।"।

धारा 202 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 202 की उपधारा (1) में, "ठीक समझता है तो" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है,"।

धारा 206 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (1) में,—

(क) प्रारंभिक पैरा में, "धारा 260 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 260 या धारा 261 के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) परन्तुक में "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

21. मूल अधिनियम की धारा 223 के परन्तुक में,— धारा 223 का संशोधन।

(क) "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर, "मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "और मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर, "और मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे।

22. मूल अधिनियम की धारा 228 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में "और तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर, "या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे, अभियुक्त को, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निदेश दे सकेगा, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे। धारा 228 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 260 की उपधारा (1) में,— धारा 260 का संशोधन।

(क) "दो सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (vi) में, "आपराधिक अभित्रास" शब्दों के स्थान पर "आपराधिक अभित्रास, जो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

24. मूल अधिनियम की धारा 291 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 291क का अन्तःस्थापन।

"291क. (1) कोई दस्तावेज, जिसका किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के संबंध में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्वहस्ताक्षरित शिनाख्त रिपोर्ट होना तात्पर्यित है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा, यद्यपि ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है: मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट।

परन्तु जहां ऐसी रिपोर्ट में ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्ति या साक्षी का विवरण है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की, यथास्थिति, धारा 21, धारा 32, धारा 33, धारा 155 या धारा 157 के उपबंध लागू होते हैं, वहां, ऐसा विवरण इस उपधारा के अधीन, उन धाराओं के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। 1872 का 1

(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझता है और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे मजिस्ट्रेट को समन कर सकेगा और उक्त रिपोर्ट की विषय-वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा और करेगा।"।

1[25. मूल अधिनियम की धारा 292 में, — धारा 292 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में "टकसाल के" शब्दों के पश्चात्, "या करेंसी नोट प्रेस के या बैंक नोट प्रेस के या सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस के" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपधारा (3) में, "टकसाल मास्टर या इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस" शब्दों के स्थान पर, "टकसाल के या करेंसी नोट प्रेस के या बैंक नोट प्रेस के या सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस के या इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस के महाप्रबन्धक" शब्द रखे जाएंगे।]

26. मूल अधिनियम की धारा 293 की उपधारा (4) में, — धारा 293 का संशोधन।

(क) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्: —

"(ख) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक;";

(ख) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् : —

"(छ) कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।"।

27. मूल अधिनियम की धारा 311 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 311क का अंतःस्थापन।

1. 2006 के अधि 2 की धारा 8 द्वारा लोप किया गया।

नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।

"311क. यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी है, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए निर्देश देना समीचीन है, तो वह उस आशय का आदेश कर सकेगा और उस दशा में, वह व्यक्ति, जिससे आदेश संबंधित है, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर पेश किया जाएगा या वहां उपस्थित होगा और अपने नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो।"।

धारा 320 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 320 में, उपधारा (2) के नीचे की सारणी में:—

(क) स्तम्भ (1) में "खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना" शब्दों का और स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ 3 में, धारा 325 से संबंधित प्रविष्टि के सामने "यथोक्त" शब्द के स्थान पर "वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ 1 में, "दो सौ पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 356 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 356 की उपधारा (1) में,—

(क) "या धारा 489घ" शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात् "या धारा 506 (जहां तक वह आपराधिक अभित्रास से संबंधित है जो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय हो)" शब्द, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) "अध्याय 12" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या अध्याय 16" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 358 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 358 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 377 का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 377 में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील उपस्थित करने का निदेश दे सकती है" शब्दों के स्थान पर, "अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध—

(क) सेशन न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है; और

(ख) उच्च न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है,

अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) में, "उच्च न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 378 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 378 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और उपधारा (3) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) जिला मजिस्ट्रेट, किसी मामले में, लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा;

(ख) राज्य सरकार, किसी मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीली आदेश से [जो खंड (क) के

अधीन आदेश नहीं है] या पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगी।'';

(ii) उपधारा (2) में, ''केन्द्रीय सरकार'' शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ''निदेश दे सकती है'' शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''केन्द्रीय सरकार उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक अभियोजक को—

(क) दोषमुक्ति के ऐसे आदेश से, जो संज्ञेय और अजमानतीय अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है सेशन न्यायालय में;

(ख) दोषमुक्ति के ऐसे मूल या अपीली आदेश से, जो किसी उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है [जो खंड (क) के अधीन आदेश नहीं है] या दोषमुक्ति के ऐसे आदेश से, जो पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उच्च न्यायालय में, अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है'';

(iii) उपधारा (3) में, ''कोई अपील'' शब्दों के स्थान पर ''उच्च न्यायालय को कोई अपील'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 389 का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 389 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

''परन्तु अपील न्यायालय ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति को, जो मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर छोड़ने से पूर्व, लोक अभियोजक को ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा:

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में, जहां किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है वहां लोक अभियोजक जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा।''।

धारा 428 का संशोधन।

34. मूल अधिनियम की धारा 428 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु धारा 433क में निर्दिष्ट मामलों में निरोध की ऐसी अवधि का उस धारा में निर्दिष्ट चौदह वर्ष की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा।''।

धारा 436 का संशोधन।

35. मूल अधिनियम की धारा 436 की उपधारा (1) में,—

(क) प्रथम परन्तुक में, ''तो वह ऐसे व्यक्ति'' शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ''उसे उन्मोचित कर सकता है'' शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर ''तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसे इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर उन्मोचित कर सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है, तो उसे ऐसे उन्मोचित करेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के एक सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है वहां अधिकारी या न्यायालय के लिए यह उपधारणा करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए निर्धन व्यक्ति है।''।

नई धारा 436क का अन्त:स्थापन।

36. मूल अधिनियम की धारा 436 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अधिकतम अवधि, जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है।

''436क. जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्यु दंड एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह प्रतिभुओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंधपत्र पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा:

परन्तु न्यायालय, लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात् और उन कारणों से जो उस द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए निरोध को जारी रखने का आदेश कर सकेगा या व्यक्तिगत बंधपत्र के बजाय प्रतिभुओं सहित या रहित जमानत पर उसे छोड़ देगा:

परन्तु यह और कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी दशा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण—जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में किए गए विलंब के कारण भोगी गई निरोध की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा।''।

धारा 437 का संशोधन।

37. मूल अधिनियम की धारा 437 में,—

(i) उपधारा (1) में—

(क) खण्ड (ii) में, ''किसी अजमानतीय और संज्ञेय अपराध'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष या उससे अधिक के, किन्तु सात वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी संज्ञेय अपराध'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) तीसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को, यदि उस द्वारा किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय है तो लोक अभियोजक को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा।'';

(ii) उपधारा (3) में, ''तो न्यायालय'' से प्रारम्भ होने वाले और ''अधिरोपित कर सकता है'' शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''तो न्यायालय यह शर्त अधिरोपित करेगा:—

(क) कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा;

(ख) कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा; और

(ग) कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा,

और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें, जिसे वह ठीक समझे, भी अधिरोपित कर सकेगा।''।

धारा 438 का संशोधन।

38. मूल अधिनियम की धारा 438 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(1) जहां किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकेगा कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, और वह न्यायालय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए अर्थात्:—

(i) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता;

(ii) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या उसने पूर्व में किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास भोगा है;

(iii) न्याय से भागने की आवेदक की संभाव्यता; और

(iv) जहां अभियोग आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर उसे क्षति पहुंचाने या उसका अपमान करने के उद्देश्य से लगाया गया है,

वहां या तो तत्काल आवेदन अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अन्तरिम आदेश देगा :

परन्तु यह कि जहां, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने इस उपधारा के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, वहां किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि ऐसे आवेदन में आशंकित अभियोग के आधार पर आवेदक को वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर ले।

(1क) जहां न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अंतरिम आदेश मंजूर करता है, वहां वह तत्काल एक सूचना, जो सात दिवस से अन्यून की सूचना न होगी, के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति, न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम रूप से सुनवाई के समय लोक अभियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने की दृष्टि से, लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को भिजवाएगा।

(1ख) यदि लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय को आवेदन किए जाने पर न्यायालय यह विचार करता है कि न्याय के हित में ऐसी उपस्थिति आवश्यक है तो न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम सुनवाई और अंतिम आदेश पारित करते समय अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक की उपस्थिति बाध्यकर होगी।''।

नई धारा 441क का अन्तःस्थापन।

39. मूल अधिनियम की धारा 441 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

प्रतिभुओं द्वारा घोषणा।

''441क. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति के छोड़े जाने के लिए उसका प्रतिभू है, न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों के बारे में घोषणा करेगा, जिनके लिए उसने प्रतिभूति दी है जिसके अन्तर्गत अभियुक्त भी है और उसमें सभी सुसंगत विशिष्टियां दी जाएंगी।''।

धारा 446 का संशोधन।

40. मूल अधिनियम की धारा 446 की उपधारा (3) में, ''स्वविवेकानुसार'' शब्द के स्थान पर ''ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 459 का संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 459 में, ''मूल्य दस रुपए से कम है'' शब्दों के स्थान पर ''मूल्य पांच सौ रुपए से कम हैं'' शब्द रखे जाएंगे।

प्रथम अनुसूची का संशोधन।

42. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, ''1–भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध'' शीर्षक के नीचे—

(क) धारा 153क से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
''153कक.	किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षणों का आयुधों सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना।	6 मास के लिए कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट।'';

(ख) छठे स्तंभ में, धारा 153ख से संबंधित प्रविष्टियों में, ''यथोक्त'' शब्द के स्थान पर, ''प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) धारा 174 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
''174क.	इस संहिता की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफलता।	3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से या दोनों से	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	किसी ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति को, उदघोषित अपराधी के रूप में घोषित करते हुए इस संहिता की धारा 82 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा की गई है।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।'';

(घ) धारा 175 से संबंधित प्रविष्टियों में,—

(i) चौथे स्तंभ में, ''यथोक्त'' शब्द के स्थान पर, ''असंज्ञेय'' शब्द रखा जाएगा; और

(ii) पांचवें स्तंभ में, ''यथोक्त'' शब्द के स्थान पर, 'जमानतीय'' शब्द, रखा जाएगा।

(ङ) धारा 229 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
''229क.	जमानत पर या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।'';

(च) पांचवें स्तंभ में, निम्नलिखित से संबंधित प्रविष्टियों में,—

(i) धारा 274, ''यथोक्त'' शब्द के स्थान पर ''अजमानतीय'' शब्द रखा जाएगा;

(ii) धारा 275, ''यथोक्त'' शब्द के स्थान पर ''जमानतीय'' शब्द रखा जाएगा;

(iii) धारा 324, ''यथोक्त'' शब्द के स्थान पर ''अजमानतीय'' शब्द रखा जाएगा;

(iv) धारा 325, ''यथोक्त'' शब्द के स्थान पर ''जमानतीय'' शब्द रखा जाएगा;

(v) धारा 332, ''जमानतीय'' शब्द के स्थान पर ''यथोक्त'' शब्द रखा जाएगा;

(vi) धारा 333, ''अजमानतीय'' शब्द के स्थान पर ''यथोक्त'' शब्द रखा जाएगा;

(vii) धारा 353, ''यथोक्त'' शब्द के स्थान पर ''अजमानतीय'' शब्द रखा जाएगा;

(viii) धारा 354, ''यथोक्त'' शब्द के स्थान पर ''जमानतीय'' शब्द रखा जाएगा।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

43. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, प्ररूप सं॰ 45 में, ''धारा 436,'' शब्द और अंकों के पश्चात् ''436क,'' अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

1860 के अधिनियम 45 का संशोधन।

44. भारतीय दंड संहिता में—

(क) धारा 153क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

IOLW/77OLW

1974 का 2

'153कक. जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144क के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी जलूस में जानबूझकर आयुध ले जाता है या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध ा सहित जानबुझकर संचालन या आयोजन करता है या उसमें भाग लेता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

किसी जलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना।

स्पष्टीकरण—''आयुध'' से अपराध या सुरक्षा के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अग्नि शस्त्र, नुकीली धार वाले हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी भी है।';

(ख) धारा 174 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात:—

''174क. जो कोई दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा और जहां उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।'';

1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाज़िरी।

(ग) धारा 229 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''229क. जो कोई, किसी अपराध से आरोपित किए जाने पर और जमानत पर या अपने बंधपत्र पर छोड़ दिए जाने पर, जमानत या बंधपत्र के निबंधनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना (जो साबित करने का भार उस पर होगा) हाजिर होने में असफल रहेगा वह दोनों में से किसी भाति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाज़िर होने में असफलता।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन दण्ड—

(क) उस दण्ड के अतिरिक्त है, जिसके लिए अपराधी उस अपराध के लिए, जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है, दोषसिद्धि पर दायी होता; और

(ख) न्यायालय की बंधपत्र के समपहरण का आदेश करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है।''।

राष्ट्रपति ने दि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2005 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—777OLW—5-07-2006.